मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 217 / 2022

प्रार्थना पत्र अं. धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

शमशेर सिह पुत्र श्री झरमल सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

मनप्रीत कौर पत्नी श्री रणदीप सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

बनाम्

अमरजीत कौर पुत्री मोहर सिह जाति जटसिख निवासी भंगतपुरा तहसील संगरिया।

गुरमित सिह पुत्र जगरूप उर्फ रूपसिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

मन्दर सिह पुत्र गुरमेल सिह उर्फ मेलासिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

रविन्द्र सिह पुत्र केवल जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

राजवीर कौर पुत्री केवल सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

सुखजीत सिह पुत्र जगरूप सिह उर्फ रूपसिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

सुखविन्द्र सिह उर्फ लीला सिह पुत्र गुरमेल सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

सुखवीर कौर पुत्री श्री केवल सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक :– 12.5.2026

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टाण्डी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई ....मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:– चक 12 बीजीपी

1. शमशेर सिह पुत्र झरमलसिह जाति जटसिख सा.भगतपुरा खातेदार

प.न.	मु.न.	किला नं.
188 / 148	11	1 / 0.107 है.

2. कर्मजीतकौर पत्नी भूपेन्द्र सिह जाति जटसिख सा.भगतपुरा खातेदार

प.न.	मु.न.	किला नं.
188 / 148	11	1 / 0.146

3. मनप्रीतकौर पत्नी भूपेन्द्र सिह जाति जटसिख सा.भागतपुरा खातेदार

प.न.	मु.न.	किला नं.
188 / 147	6	21 / 0.127 है.

4. रविन्द्र सिह पुत्र केवल सिह 637 / 2403 हि. सुखवीरकौर पुत्री केवलसिह 984 / 2403 हि. राजवीरकौर पुत्री केवल सिह 782 / 2403 हि. जाति जटसिख सा.भगतपुरा खातेदार

प.न.	मु.न.	किला नं.
187 / 157	48	5 / 1 / 0.228 है., 5 / 2 / 0.025 है.गै.मु.रास्ता, 6 / 1 / 0.228 है., 6 / 2 / 0.025 है. गै.मु.रास्ता, 15 / 1 / 0.228 है., 15 / 2 / 0.025 है.गै.मु.रास्ता,
188 / 157	47	1 / 0.253, 9 ता 12 / 0.253,
188 / 147	6	20 / 0.253, 21 / 0.126

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के देश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1298 दिनांक 17.03.26 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन हो। यदि हक. हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का खल दरामद कर दिया जावे।

नोट :– तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में कर्मजीत कौर द्वारा रकबा क्रय किया जाना अंकित है लेकिन उक्त काश्तकार प्रकरण में ना तो पक्षकार संयोजित है एव न ही हाजिर अदालत है इसलिए उक्त रकबा संबंधित काश्तकार के नाम यथावत रखा जावे।

निज...X...मुब्लिक...X...बाबत...X...खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...X...को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...12.5.2026...को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया